

Particular documents relating to the...

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

प्रकरण क्रमांक 01 ख-113 §2§ कर्षा 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 12-10-2001 के अनुसार श्री रामचन्द्र स्वामी ट्रस्ट रामसागरपारा रायपुर सार्वजनिक न्यास §सरल क्रमांक 43§ की ग्राम - चिरहुलडीह प. ह. नं. 106 ब तहसील रायपुर में स्थित ट्रस्ट भूमि छासरा नं. 838/7 रकबा 0.384 हे. तथा छासरा नं. 839/1 रकबा 1.085 हे. कुल रकबा 1.469 हे. को निम्न लिखित शर्तों के तहत निम्न की अनुमति दी गयी:- §1§ प्रश्नाधीन उपरोक्त विक्रय की जाने वाली भूमि के संबंध में वर्तमान गाईड लाईन, बिजली टांट एवं बाजार मूल्य जो राशि अधिक हो उससे अधिक दर पर उपरोक्त भूमि का विक्रय की जावे. §2§ श्रीराममंदिर के नवनिर्माण के लिये कितनी राशि लगेगा इसका मूल्यांकन स्टीमेट शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आर्किटेक्ट से सर्वप्रथम करायी जावे और तदनुसार बितने का स्टीमेट आर्किटेक्ट द्वारा लिखित में बताया जावेगी. उक्त ही राशि का सिर्फ भूमि विक्रय की जा सकेगी. प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि को मंदिर के सर्वराकार एवं पंजीयक लोक न्यास रायपुर के संयुक्त छाता छोलकर विक्रय से प्राप्त राशि सर्वप्रथम जमा की जावेगी और इस कार्यालय की अनुमति से स्टीमेट अनुसार किरतों में राशि का आहरण कर खर्च किया जावेगा. §4§ नवनिर्माण के लिये नियमानुसार संबंधित संस्थाओं से आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा. §5§ बिजली उपरांत बिजली पत्र की प्रति आदेश की छायाप्रति संलग्न कर ट्रस्ट पंजी में प्रविष्टि हेतु इस न्यायालय में पेश किया जावेगा तथा अपने संस्था की ट्रस्ट - संपत्तियों की पंजी में भी प्रविष्टि ट्रस्ट करेगा. §6§ प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय पत्र में आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी संलग्न कर विक्रय पत्र निरूपादित करायी जावे. §7§ यह अनुमति प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय हेतु आदेश दिनांक से सिर्फ 6 माह तक की अवधि के लिये मान्य रहेगा. 6 माह की अवधि समाप्त होने के बाद आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा.

Case no
1952-53
30-9-53

पंजीयक
सार्वजनिक न्यास,
रायपुर, (ख.)
12/10/2001

प्रति
92
सिद्धा
ह
52 कल्याण

839/1 रकबा 1.085 हे. कुल रकबा 1.469 हे. का 32 के तहत विक्रय अनुमति प्रस्ताव है।
कामत 2000 रु.
मोरु रसो
अमीक मोजा
दावे कला
रकबा 0.384 हे.
कामत - 3000 रु.
विलोपित